

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सीकरी  
मुहम्मद चंद बनाम उदयचंद बगै  
 किस्म मुकदमा मुकदमा नं. 83/23 सन्

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
---------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------

0.2023 यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी महेशचंद पुत्र मदनलाल जाति गौड ब्राह्मण, निवासी ग्राम गुलपाडा तहसील सीकरी जिला डीग ने अपने मूल वाद के साथ प्रस्तुत किया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री मुबीन खान की एकपक्षीय बहस बाबत जारी करने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। बाद बहस प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।  
 अतः आदेश है कि:-  
 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगण उदयचंद बगै0 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.11.2023 तक विवादित आराजी खसरा 630/0.22 बाके, ग्राम गुलपाडा तहसील सीकरी पर रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक सायल जायल हो। इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी रहने में कोई भी आपत्ति हो तो न्यायालय में स्वयं अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी तलब किया जाकर पत्रावली नियत दिनांक 21.11.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सीकरी (डीग) राज०

11/23 पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है, अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/12/23 को पेश हो।

12/23 पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है, अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/11/23 को पेश हो।

25/11 अभिभाषक संघ द्वारा कार्य को स्थगन रखा गया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 06/3/24 को पेश हो।

03/24 पत्रावली द्वारा पत्र हुई, पत्रावली वास्ते तलबी व्यवसायिगण दिनांक 29/04/24 को पत्र हो।

29/24 पत्रावली द्वारा पत्र हुई, वहील प्रार्थी उपरोक्त वहील प्रार्थी के रिक्स्ट पर संबंधित मूल-वाड नोडिस दिया जा चुका है। अतः इससे संबंधित प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं रह जाया है।

29/24  
अहकाम  
ख्याप

अतः इस प्रा.पत्र की इसी तरह पर नोटिस  
दिया जावे।

प्रा.पत्र के अधिकार के अधिनो पर विचार दिया  
जाया, न्यू के प्रा.पत्रना पत्र से संबंधित मूल-वा  
नोटिस दिया जा चुका है अतः प्रा.पत्र का  
प्रा.पत्र इसी तरह पर खारिज दिया जाय  
है तथा दिनांक 27.10.2023 को जारी T.D  
वाले की जारी है। पत्रावली के लिये शुभ  
दोहर शामिल इफ्त हो।